



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

## PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1731]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 12, 2016/आषाढ़ 21, 1938

No. 1731]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 12, 2016/ASADHA 21, 1938

## वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2016

**का.आ. 2373 (अ).**— स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 2 के उपवाक्य (xi) के उप-उपवाक्य (ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, निम्नलिखित पदार्थ, लवणों और उनके उत्पादों को विनिर्मित औषधि के रूप में घोषित करती है, अर्थात् :-

AH-7921 : 3,4-डाईक्लोरो-N-[(1-डाईमेथाइलअमीनो) साइक्लोहेक्साइलमेथाइल] बेन्जामाइड

[फा.सं. एन-12011/1/2015-एनसी- II (1)]

सत्य नारायण दास, अवर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2016

**S.O. 2373(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-clause (b) of clause (xi) of section 2 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby declares the following substance, salts and preparations thereof to be manufactured drug, namely:-

AH-7921 : 3,4-dichloro-N-[1-(dimethylamino) cyclohexylmethyl] benzamide .

[F. No. N-12011/1/2015-NC-II (1)]  
SATYA NARAYANA DASH, Under Secy.